

(iii) State should consider giving Police powers to the Railway Protection Force.

रेलवे बोर्ड में स्टाफ डीलिंग शाखाओं में अधिकारी एवं सहायक

1242. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में उन अधिकारियों एवं सहायकों के अनुभाग-वार, नाम क्या हैं जो स्टाफ डीलिंग तथा 'पब्लिक डीलिंग' अनुभागों में लगातार पांच वर्षों से अधिक समय से पदासीन हैं ;

(ख) क्या एक ही अनुभाग में लम्बी अवधि तक पद स्थापित होने के कारण कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाता है और अधिकारी मनमानी करते

(ग) क्या ऐसी कोई प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को एक ही अनुभाग में पांच वर्षों में अधिक समय तक न रहने दिया जाये क्योंकि एक ही स्थान पर रहने से एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ पनपती हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार ऐसे माह्रयकों और अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का है जो एक ही अनुभाग में पांच वर्षों में अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(च) क्या इतनी लम्बी अवधि तक लगातार ऐसे महत्वपूर्ण अनुभागों में सहायकों और अधिकारियों का बना रहना वांछनीय है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण)

(क) जन सेवा संगठन के रूप में भारतीय रेलों के संचालन पर नजर रखते हुए, मंत्रालय के रूप में रेलवे बोर्ड के सभी अनुभाग कर्मचारियों के मामलों में सम्बन्धित विषयों तथा जनता के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों पर भी कार्रवाई करते हैं। जिन अनुभागों अधिकारियों/सहायकों ने अनुभाग विशेष में पांच वर्ष या उससे अधिक काम किया है उनकी सूची अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखी गयी / देखिये नं० L.T-2884/78]।

(ख) किसी भी व्यक्ति को न्याय न मिलने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि समग्र बरिष्ठता के आधार पर और प्रत्येक अपनी सेवा के सांविधिक नियमों के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति निर्धारित की गयी है। इस केन्द्रीकृत संगठन में जहाँ स्थापना से सम्बन्धित सभी मामले सचिव, रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों और

मंत्रियों के नियंत्रण में हैं, अधिकारी विशेष द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (च) ऐसे कोई प्रशासनिक अनुबन्ध नहीं हैं कि किसी भी कर्मचारी को उसी अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सम्बन्ध में कर्मचारियों की ओर से हाल ही की कार्यालय परिषद की बैठक में दिए गये मुझाव को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि प्रशासनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना कर्मचारियों को दूसरी शाखाओं में हस्तान्तरण क अनुरोध पर विचार किया जाए।

Implementation of Railway Projects in West Bengal

1243. SHRI RUDOLPH RODRIGUES: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the implementation or schedule of any Railway projects will be affected by the damage caused by the recent floods in West Bengal; and

(b) what remedial measures are contemplated or have been carried out to offset these adverse effects of floods in West Bengal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The final completion dates of the projects are not likely to be affected by the recent floods in West Bengal.

(b) Does not arise.

Alleged misuse of Funds by Board of Directors of Bird and Company

1244. SHRI SYAM SUNDER GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of India have received any complaints from the staff of Bird and Company Limited relating to misuse of power and company funds by the Board of Directors of this Company;

(b) whether it is also a fact that substantial amounts belonging to the

retired employees of this company are blocked in the shares of the company and if so, what action Government propose to take to provide relief to the retired employees by selling these shares in the market; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, AND SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) An unsigned letter purported to be from the 'Employees' of Bird Group of Companies dated 28th December, 1977 has been received in the Department.

(b) and (c). The Savings Trust holds 49.8 per cent of the equity shares of Bird and Company Limited. The estimated liabilities of the Savings Trust as on 31st March, 1978 amounting to Rs. 58.00 lakhs include deposits by pensioners of the orders of Rs. 3 lakhs. The matter regarding the sale of the shares held by the Savings Trust is pending with the High Court of Calcutta.

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में हरिजनों और आदिवासियों को नियुक्ति

1245. श्री एच० एल० पी० सिन्हा क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कितने हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जातियों के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). जातिवाद सूचियां नहीं रखी जा रही हैं अतः पटना उच्च न्यायालय में पिछड़ी जातियों के आसीन न्यायाधीशों के बारे में या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और

पिछड़ी जातियों के अनुसूचितों की संख्या के बारे में जो बिगत काल में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जानकारी देना संभव नहीं है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई आसीन न्यायाधीश नहीं है।

Writ Petitions relating to Land ceiling pending in High Courts and Judicial Commissioners' Courts

1246. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of writ petitions relating to land ceiling and other land reform laws, under articles 226 and 227 of the Constitution, pending in various High Courts and Judicial Commissioners' courts as at the end of September, 1978;

(b) since when these writ petitions have been pending; and

(c) what steps Government are taking for the speedy disposal of these cases?

THE MINISTER OF EDUCATION, AND SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). Information at the end of September, 1978 is not available. Information as on 30-6-1978 is given in the attached statement.

(b) The following steps have been taken to clear arrears:—

(i) The sanctioned strength has been increased in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the